प्रारंभिक परीक्षा

भारत में हल्दी की खेती

संदर्भ

प्रतिकूल मौसम और फसल रोगों के कारण इस मौसम में भारतीय हल्दी का उत्पादन 10-15% कम होने का अनुमान है।

हल्दी के बारे में -

- **हल्दी (Curcuma longa) एक चमकीला पीला मसाला है जो हल्दी के पौधे के प्रकंदों से प्राप्त होता है।**
- इसके अनेक स्वास्थ्य लाभों के कारण सदियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता रहा है।
- **बढ़ने की स्थितियाँ:**
    - **जलवायु:** गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय जलवायु, तापमान 20-30°C के बीच।
    - **वर्षा:** इसके लिए उच्च वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, आदर्शतः 1500 मिमी या उससे अधिक।
    - **मिट्टी:** अच्छी जल निकासी वाली दोमट या रेतीली दोमट मिट्टी।
- **चिकित्सा उपयोग:**
    - **सूजनरोधी गुण:** हल्दी में सक्रिय यौगिक **कर्क्यूमिन** में शक्तिशाली सूजनरोधी प्रभाव होते हैं जो गठिया और जोड़ों के दर्द जैसी स्थितियों से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं।
    - **एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव:** ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है और दीर्घकालिक बीमारियों के जोखिम को कम करता है।
    - **पाचन स्वास्थ्य:** पाचन विकारों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, यह अपच और सूजन के लक्षणों को कम कर सकता है।
    - **कैंसर की रोकथाम:** कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि कर्क्यूमिन कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोक सकता है और कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है।
- **उच्च उपभोग के प्रभाव:**
    - **जठरांत्र संबंधी समस्याएं:** अधिक खुराक (प्रतिदिन 8 ग्राम से अधिक) से पेट में दर्द, मतली या दस्त हो सकता है।
    - **रक्त पतला करने वाले प्रभाव:** हल्दी प्राकृतिक रूप से रक्त पतला करने का काम करती है, जो थक्कारोधी दवाएं लेने वाले या सर्जरी कराने वाले व्यक्तियों के लिए जोखिम पैदा कर सकती है।

तथ्य -

- हल्दी का प्रकंदों(**rhizomes**) से मिलती है।(बीजों से नहीं)
- **भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है।**
- हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी **62%** से अधिक है।
- **शीर्ष उत्पादक राज्य: (1) महाराष्ट्र (2) कर्नाटक (3) तेलंगाना (4) तमिलनाडु।**
- **भारत सरकार ने भारत में हल्दी क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए 2023 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की**
    - **नोडल मंत्रालय:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

स्रोत: The Hindu - Turmeric

विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025

संदर्भ

हाल ही में **ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर** द्वारा **विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 प्रकाशित** की गई।

विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के बारे में -

- **यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और गैलप के साथ साझेदारी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है।**
- लगातार आठवें साल **फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित** किया गया है।
- **2025 में शीर्ष 10 सबसे खुशहाल देश**: फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, कोस्टा रिका, नॉर्वे, इज़राइल, लक्जमबर्ग, मैक्सिको।
    - कोस्टा रिका (6वां) और मैक्सिको (10वां) पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुए।
- **भारत की रैंक: 118** (पिछली बार भारत की स्थिति 126वीं थी)।
    - पाकिस्तान, नेपाल, फिलिस्तीन और यूक्रेन जैसे देश भारत से ऊपर रैंक किए गए हैं।
- **2025 में सबसे निचले पांच सबसे दुखी देश:** (143) जिम्बाब्वे (144) मलावी (145) लेबनान (146) सिएरा लियोन **(147) अफ़गानिस्तान (लगातार चौथे वर्ष सबसे दुखी देश के रूप में स्थान दिया गया)**

स्रोत: **Indian Express - World Happiness Report 2025**

इगुआना की यात्रा

संदर्भ

नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की कार्यवाही में प्रकाशित एक नवीनतम शोध ने लंबे समय से चले आ रहे रहस्य को सुलझा दिया है कि इगुआना प्रशांत द्वीपों तक कैसे पहुंचे।

इगुआना के बारे में -

- **इगुआना बड़ी, शाकाहारी या सर्वाहारी छिपकलियाँ हैं।**
- **वे ठंडे खून वाले सरीसृप हैं, जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।**
- अधिकांश इगुआना वृक्षवासी (पेड़ों पर रहने वाले) होते हैं तथा उनके पास सुरक्षा के लिए मजबूत पंजे और पूँछ होती हैं।
- **वे अपनी शल्कदार त्वचा, लंबी पूंछ और डवलैप (ठोड़ी के नीचे की त्वचा का फड़कना) के लिए जाने जाते हैं, जो तापमान नियंत्रण और संचार में मदद करता है।**
- इगुआना मध्य और दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको और कैरिबियन के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मूल निवासी हैं।
- **इगुआना भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, बल्कि पालतू जानवरों के रूप में और कैद में पाए जाते हैं।**
- **भारत में देखे गए इगुआना:** हरे इगुआना और अमेरिकी हरे इगुआना।

फ़िजी और टोंगा इगुआना की पहेली -

- **फिजी और टोंगा** के इगुआना लंबे समय से विकासवादी रहस्य बने हुए हैं।
- **अन्य सभी जीवित इगुआना प्रजातियाँ अमेरिका में, दक्षिण-पश्चिमी अमेरिका से लेकर कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं।**
- **वैज्ञानिक इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि ये सरीसृप हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के द्वीपों तक कैसे पहुंचे।**
- शोध से पता चलता है कि **फिजी इगुआना के पूर्वज प्रशांत महासागर में तैरती हुई वनस्पतियों (राफ्टिंग) पर यात्रा करते थे**।

राफ्टिंग क्या है?

- **राफ्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जानवर उखड़े हुए पेड़ों या पौधों के मलबे पर चिपक कर समुद्र पार करते हैं।**
- यह आमतौर पर अकशेरुकी जीवों में देखा जाता है, क्योंकि उनका छोटा आकार उन्हें तैरती हुई वनस्पतियों में लंबे समय तक जीवित रहने की अनुमति देता है।
- कशेरुकियों में, छिपकलियाँ और साँप अपने धीमे चयापचय के कारण स्तनधारियों की तुलना में बेहतर राफ्टिंग करने के लिए जाने जाते हैं।

स्रोत: [Indian Express- Voyage of Iguanas]

नये रक्षा खरीद दिशानिर्देश

संदर्भ

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पूंजी अधिग्रहण के विभिन्न चरणों में देरी को कम करने के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है।

रक्षा खरीद दिशा-निर्देशों में प्रमुख परिवर्तन -

- **तीव्र खरीद समयसीमा:**
  - खरीद की समयसीमा में 50% की कटौती की जाएगी, जिससे अधिग्रहण में काफी तेजी आएगी।
  - अब एक प्रक्रिया के खत्म होने का इंतजार करने के बजाय दूसरी प्रक्रिया शुरू करने के बजाय कई प्रक्रियाओं पर एक साथ काम किया जाएगा।
- **अधिग्रहण प्रक्रियाओं का सरलीकरण:** सुधारों से कई प्रमुख प्रक्रियाओं में लगने वाला समय कम हो जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
  - **आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन)** - सैन्य प्रणाली की आवश्यकता की आधिकारिक मान्यता।
  - **सूचना हेतु अनुरोध (आरएफआई)** - औपचारिक निविदा से पहले किया गया बाजार सर्वेक्षण।
  - **प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)** - आपूर्तिकर्ताओं के लिए वास्तविक बोली दस्तावेज़।
  - **क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण** - सैन्य उपयोग के लिए हथियार प्रणाली का परीक्षण।
  - **अनुबंध वार्ता समिति (सीएनसी)** - खरीद की लागत और शर्तों को अंतिम रूप देना।
- **जवाबदेही तय करना और देरी कम करना:**
  - समय-सीमा को पूरा करने के लिए विशिष्ट अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
  - खरीद संबंधी बाधाओं को दूर किया जाएगा, जिससे सुगम और तेज अधिग्रहण सुनिश्चित होगा।

रक्षा अधिग्रहण परिषद के बारे में -

- खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था।
- **अध्यक्ष: रक्षा मंत्री**
- **सदस्य: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS), सेना, नौसेना और वायु सेना प्रमुख।**
- **इसकी स्थापना 2001 में कारगिल युद्ध के बाद की गई थी।**

स्रोत: [The Hindu - Defence Procurement]

समाचार संक्षेप में

औरंगजेब का मकबरा

- नागपुर में हाल की घटनाओं ने मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया है।

औरंगजेब के बारे में -

- **औरंगजेब आलमगीर छठा मुगल बादशाह था, जिसने 1658 से 1707 तक शासन किया।**
- उसका शासनकाल किसी भी मुगल शासक (49 वर्ष) से सबसे लंबा था और इसने साम्राज्य के सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार और इसके अंतिम पतन दोनों को चिह्नित किया।
- उसने मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किया, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे।
- **उसने गैर-मुसलमानों पर जजिया कर फिर से लगाया (जिसे पहले अकबर द्वारा हटा दिया गया था)।**
- उसने **फतवा-ए-आलमगीरी** की शुरुआत की, जो इस्लामी कानूनों का संकलन था और **दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया (पहले के मुगल शासकों के विपरीत)।**

औरंगजेब की महाराष्ट्र में कब्र -

- औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, लेकिन अपने अंतिम वर्षों में, उसका साम्राज्य निम्नलिखित कारणों से ढह गया: कृषि संकट, कुलीन वर्ग का उससे दूर चले जाना और दक्कन में मराठा प्रतिरोध।
- **लगभग 90 वर्ष की आयु में दक्कन में मराठों के विरुद्ध सैन्य अभियान के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।**
- उसकी अंतिम इच्छा इस्लामी तपस्या के अनुरूप एक साधारण मकबरे में दफन होने की थी।
- **उसकी कब्र महाराष्ट्र के खुल्दाबाद में शेख ज़ैनुद्दीन (14वीं शताब्दी के चिश्ती सूफी संत) की दरगाह परिसर में स्थित है।**

स्रोत: Indian Express - Aurangzeb's Tomb

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate)

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम मूल्य के BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंज़ूरी दी।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- ₹2,000 तक के व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेन-देन को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- UPI अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों को प्रति लेन-देन 0.15% का प्रोत्साहन मिलेगा।
- छोटे व्यापारियों को लाभ होगा क्योंकि उन्हें शून्य MDR का भुगतान करना होगा।
- ₹2,000 से अधिक के लेन-देन MDR-मुक्त रहेंगे, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) क्या है?

- **MDR एक शुल्क है जो डिजिटल लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए व्यापारियों से लिया जाता है।**
- व्यापारी को भुगतान प्राप्त होने से पहले इसे लेनदेन राशि से काट लिया जाता है।

- **MDR बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों की लागतों को कवर करता है।**
- इसे **लेनदेन छूट दर (TDR) के नाम से भी जाना जाता है**।
- **MDR का भुगतान कौन करता है?**
    - सामान्यतः, व्यापारी कार्ड-आधारित और यूपीआई लेनदेन के लिए MDR का भुगतान करते हैं।
    - यूपीआई ढांचे में, सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए छोटे लेनदेन के लिए MDR को कवर करती है।

स्रोत: **TOI- MDR**

अमृत ज्ञान कोष पोर्टल

- **यह प्रशासनिक चुनौतियों के लिए वास्तविक जीवन, समाधान-उन्मुख दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालते हुए शासन केस स्टडीज़ के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है।**
- **इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों में सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए भारत-केंद्रित, स्केलेबल शासन मॉडल को बढ़ावा देना है।**
- अमृत ज्ञान कोष पोर्टल को iGOT के साथ एकीकृत किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी अधिकारी अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शासन केस स्टडीज़ तक पहुँच सकें।
- इसे क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

स्रोत: **PIB - AGKP**

अपलिंक पहल

- **अपलिंक एक विश्व आर्थिक मंच (WEF) पहल है जिसे जनवरी 2020 में प्रारंभिक चरण के स्थिरता-केंद्रित नवप्रवर्तकों का समर्थन करने के लिए लॉन्च किया गया था।**
- यह एक डिजिटल क्राउडसोर्सिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जो उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग के नेताओं को वैश्विक पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने वाले अभिनव समाधानों को जोड़ने के लिए जोड़ता है।
- **अपलिंक मुख्य रूप से चार प्रमुख स्थिरता चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है:**
    - जलवायु कार्रवाई और कार्बन न्यूनीकरण।
    - प्रकृति एवं जैव विविधता संरक्षण।
    - जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन।
    - चक्रीय अर्थव्यवस्था और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला।

स्रोत: **Down to Earth - UpLink Initiative**

संसद भाषिणी पहल

- लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने संसद भाषिणी पहल विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

संसद भाषिणी के बारे में -

- इसका उद्देश्य **संसदीय कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और बहुभाषी समर्थन (भाषिणी के माध्यम से)** का लाभ उठाकर संसदीय कार्यों को आधुनिक बनाना है।
    - **भाषिणी MeitY द्वारा एक AI-संचालित भाषा अनुवाद मंच प्लेटफ़ॉर्म है।**

संसद भाषिणी पहल की मुख्य विशेषताएं -

- **एआई-संचालित उपकरण संसदीय सामग्री (बहस, समिति की बैठकें, एजेंडा फ़ाइलें) का वास्तविक समय में कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद करेंगे।**

- सांसदों और अधिकारियों को संसदीय नियमों, प्रक्रियाओं और दस्तावेजों को जल्दी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक एआई चैटबॉट विकसित किया जाएगा।
- संसदीय बहसों का लिखित टेक्स्ट में वास्तविक समय में प्रतिलेखन(**transcription**)।
- लंबी संसदीय बहसों के लिए एआई-आधारित स्वचालित सारांश।

स्रोत: **DD News - Sansad Bhashini**

वारली कला

- **यह एक पारंपरिक आदिवासी कला है। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के उत्तरी सह्याद्री रेंज में रहने वाली वारली जनजाति से हुई है।**
- इसमें शिकार, मछली पकड़ने, खेती, त्यौहारों और नृत्यों के दृश्यों के साथ रोजमर्रा के ग्रामीण जीवन, अनुष्ठानों और प्रकृति को दर्शाने के लिए बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों- वृत्त, त्रिकोण और वर्ग का उपयोग किया जाता है।
- परंपरागत रूप से, यह कला मिट्टी की झोपड़ियों की दीवारों पर चावल के पेस्ट (सफेद के लिए) और धरती से मिट्टी-भूरे रंग जैसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाई गई थी।
- **बांस की छड़ियों का उपयोग पेंटब्रश के रूप में किया जाता था, और पेंटिंग अक्सर वारली जनजाति की महिलाओं द्वारा बनाई जाती थीं।**

स्रोत: **The Hindu - Warli Art**

संपादकीय सारांश

डिजिटल दिग्गजों पर निगरानी की चुनौती

संदर्भ

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और कई व्यवहारिक उपायों को अनिवार्य किया।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- **CCI के आदेश में पाया गया कि 2021 में मेटा की सहायक कंपनी व्हाट्सएप द्वारा पेश की गई निजता नीति अपडेट को भारत में "स्मार्टफोन के लिए ओवर-द-टॉप (OTT) मैसेजिंग सेवाओं" और "ऑनलाइन डिस्प्ले विज्ञापन" बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग माना गया।**
- मेटा ने CCI के आदेश को चुनौती देते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील दायर की।
- **23 जनवरी, 2025 को, NCLAT ने उपयोगकर्ता डेटा साझा करने पर पाँच साल के प्रतिबंध और लगाए गए जुर्माने पर रोक लगा दी।**

भारत में गूगल के विरुद्ध विगत विनियामक कार्रवाई -

- **गूगल पर जुर्माना (2022):** CCI ने गूगल पर अपने प्रमुख स्थान का दुरुपयोग करने के लिए **₹1,337.76 करोड़ का जुर्माना लगाया:**
    - स्मार्ट मोबाइल उपकरणों के लिए लाइसेंसयोग्य ऑपरेटिंग सिस्टम
    - एंड्रॉयड डिवाइस के लिए ऐप स्टोर
    - गैर-OS-विशिष्ट मोबाइल वेब ब्राउज़र
    - ऑनलाइन वीडियो होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म
    - सामान्य वेब सर्च सेवाएँ
  - **दुरुपयोग की प्रकृति:** एंड्रॉयड डिवाइसों पर गूगल ऐप्स का जबरन प्री-इंस्टॉलेशन।
  - **NCLT का निर्णय: NCLT ने 2023 में जुर्माना बरकरार रखा।**

बाजार प्रभुत्व में डेटा की भूमिका -

- **रणनीतिक परिसंपत्ति के रूप में डेटा:** 21वीं सदी की डिजिटल अर्थव्यवस्था में, डेटा नया तेल है, लेकिन इसकी उपयोगिता लगभग असीमित है।
  - तेल के विपरीत, डेटा को अनिश्चित काल तक एकत्रित, विश्लेषित और पुन: उपयोग किया जा सकता है।
- **प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:** डेटा उपभोक्ता व्यवहार के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे प्लेटफॉर्म को निम्नलिखित में सक्षम बनाया जा सकता है:
  - एल्गोरिदम को परिष्कृत करना
  - अति-लक्षित विज्ञापन प्रदान करना
  - वैयक्तिकृत उपयोगकर्ता अनुभव बनाना
- **डेटा-चालित नेटवर्क प्रभाव:** अधिक उपयोगकर्ता अधिक डेटा उत्पन्न करते हैं → डेटा सेवा की गुणवत्ता में सुधार करता है → अधिक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करता है → प्रतिद्वंद्वियों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बाधाएं।
  - इससे प्लेटफॉर्म का प्रभुत्व मजबूत होता है, जिससे छोटे प्रतिस्पर्धियों के लिए बाजार में प्रवेश करना कठिन हो जाता है।
- **लॉक-इन प्रभाव:** एक बार जब प्लेटफॉर्म पर्याप्त डेटा एकत्र कर लेते हैं, तो उपयोगकर्ताओं के लिए स्विचिंग लागत बढ़ जाती है।

- **उदाहरण**: मेटा का विभिन्न प्लेटफार्मों (व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर डेटा साझा करना पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भरता को मजबूत करता है।

- **बाजार में अपनी पैठ बनाए रखना:** डेटा पूर्वानुमानात्मक मॉडलिंग और उत्पाद सुधार को सक्षम बनाता है, जिससे बाजार में प्रभुत्व का एक आत्म-सुदृढ़ीकरण चक्र निर्मित होता है।

प्रौद्योगिकी दिग्गजों के विरुद्ध वैश्विक कार्रवाई -

देश/क्षेत्र	तकनीकी दिग्गज	उल्लंघन/समस्या	कार्रवाई की	नतीजा
संयुक्त राज्य अमेरिका	मेटा	इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के अधिग्रहण पर एंटीट्रस्ट उल्लंघन	प्रतिद्वंद्विता कानूनों के तहत मुकदमेबाजी	मामला जारी है
	गूगल	सर्च और विज्ञापन बाज़ारों में विशेष समझौतों के कारण शर्मन अधिनियम (2024) का उल्लंघन	अमेरिकी जिला न्यायालय ने गूगल को दोषी पाया	अंतिम दंड की प्रतीक्षा
यूरोप	मेटा (फेसबुक-जर्मनी मामला)	उपयोगकर्ता की सहमति के बिना विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म से उपयोगकर्ता डेटा को संयोजित करना	यूरोपीय संघ प्रतिस्पर्धा कानून और जीडीपीआर के तहत दोषी पाया गया	डेटा-साझाकरण प्रथाओं को संशोधित करने के लिए मजबूर होना
	गूगल	मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप बाज़ार और विज्ञापन में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाएँ	तीन मामलों में €8 बिलियन से अधिक का जुर्माना	जुर्माना बरकरार रखा गया
	मेटा	विज्ञापन-समर्थित सदस्यता सेवा संभावित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए जांच के दायरे में	जांच जारी	परिणाम की प्रतीक्षा
ऑस्ट्रेलिया	मेटा और गूगल	डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन विज्ञापन में बाजार प्रभुत्व	प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिए नियम लागू किए गए	उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत किया गया
ऐतिहासिक मामले (अमेरिका में)	एटी&टी	दूरसंचार बाज़ार में एकाधिकार	22 परिचालन कम्पनियों को विनिवेशित करने का आदेश दिया गया	एटीएंडटी का एकाधिकार समाप्त किया
	माइक्रोसॉफ्ट	सॉफ्टवेयर बाज़ार में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाएँ	न्यायालय द्वारा आदेशित निरीक्षण	तृतीय-पक्ष डेवलपर्स के लिए API पहुंच सुनिश्चित की गई तथा

				PC निर्माताओं के लिए लचीलापन सुनिश्चित किया गया

भारत में चुनौतियाँ -

- **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002: इसमें डेटा-केंद्रित एकाधिकार को संबोधित करने के लिए स्पष्ट प्रावधानों का अभाव है।**
    - वर्तमान ढांचा मूल्य-आधारित प्रभुत्व पर केंद्रित है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:** डेटा संग्रह, सहमति और उपयोग को नियंत्रित करता है लेकिन इसमें CCI और भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के बीच समन्वय का अभाव है।

सुधार के लिए सुझाव -

- **प्रतिस्पर्धा अधिनियम में सुझाए गए संशोधन:**
    - बाजार प्रभुत्व के मानदंड के रूप में "डेटा एकाधिकार" को शामिल करना।
    - डेटा-संचालित गतिशीलता को प्रतिबिंबित करने के लिए "बाजार शक्ति" और "प्रभावशाली स्थिति" जैसी अवधारणाओं को पुनः परिभाषित करना।
    - अंतर-संचालनीयता और डेटा-साझाकरण समझौतों को अनिवार्य बनाना।
    - एकीकृत सेवाओं का पृथक्करण लागू करना।
- यूरोपीय संघ के डीएमए (डिजिटल मार्केट एक्ट) और जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) के समान प्रतिस्पर्धा कानून को डेटा संरक्षण कानूनों के साथ संरेखित करना।

व्यापक आर्थिक और विनियामक निहितार्थ -

- **आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25:** भारत के तीव्र डिजिटल परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया।
    - भारत की अर्थव्यवस्था को आकार देने में एआई की भूमिका पर जोर दिया गया।
- **भविष्य के लिए तैयार विनियामक ढांचे की आवश्यकता:** विनियामक ढांचे को निम्नलिखित के लिए अनुकूल होना चाहिए:
    - बाजार की गतिशीलता का विकास
    - डेटा-संचालित प्रभुत्व
    - एआई और बड़ी तकनीक से उभरती चुनौतियाँ

स्रोत: **The Hindu: The challenge of policing digital giants**

क्या आप्रवासियों को नागरिकों के समान विरोध प्रदर्शन का अधिकार होना चाहिए?

संदर्भ

जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून आप्रवासियों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा करता है, घरेलू कानूनी ढांचे और राजनीतिक विचार अक्सर इन सुरक्षाओं को दरकिनार कर देते हैं।

आप्रवासियों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून -

- **नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICCPR):**
  - **अनुच्छेद 19**: राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें सूचना मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार भी शामिल है।
    - **बिना किसी भेदभाव के नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों पर लागू है।**
  - **अनुच्छेद 21**: शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को मान्यता देता है।
    - राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारणों से इस अधिकार को प्रतिबंधित कर सकते हैं।
- **मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR), 1948:**
  - **अनुच्छेद 19**: विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि करता है।
  - **अनुच्छेद 20**: शांतिपूर्ण सभा और संघ बनाने के अधिकार को मान्यता देता है।
  - यद्यपि **UDHR** बाध्यकारी नहीं है, फिर भी यह वैश्विक स्तर पर विरोध अधिकारों की रक्षा के लिए नैतिक और कानूनी आधार तैयार करता है।
- **सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICERD), 1965:**
  - **अनुच्छेद 5**: नस्लीय या राष्ट्रीय मूल-आधारित भेदभाव के बिना भाषण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संघ बनाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
    - **यह नागरिकों और आप्रवासियों दोनों पर लागू होता है।**
- **यूरोपीय मानवाधिकार सम्मेलन (ECHR), 1950:**
  - **अनुच्छेद 10**: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
  - **अनुच्छेद 11**: राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के अधीन शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को मान्यता देता है।
- **शरणार्थी सम्मेलन, 1951:** यह सुनिश्चित करता है कि शरणार्थियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के संबंध में नागरिकों के समान ही मूल अधिकार प्रदान किए जाएं।
  - शरणार्थियों को निर्वासन से सुरक्षा प्रदान करता है, जब तक कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न न करें।

घरेलू कानूनी ढांचे और राजनीतिक विचार इस अधिकार को सीमित क्यों करते हैं?

- **राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ:** ICCPR अनुच्छेद-19(3) के तहत राज्यों को उन विरोध प्रदर्शनों को सीमित करने का अधिकार है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा बन सकते हैं।
  - सरकारें अक्सर विवादास्पद या चरमपंथी विचारधाराओं का समर्थन करने वाले विरोध प्रदर्शनों को सुरक्षा खतरे के रूप में वर्गीकृत करती हैं।
  - **उदाहरण**: अमेरिका ने आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों को निर्वासित करने के लिए **आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम (1952) लागू किया।**
- **राजनीतिक संवेदनशीलताएँ:** विदेश नीति के मुद्दों (जैसे, इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष) से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के कूटनीतिक परिणाम हो सकते हैं।
  - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों का राजनीतिक दबाव इस बात को प्रभावित कर सकता है कि सरकारें आप्रवासी विरोधों पर कैसी प्रतिक्रिया देती हैं।
  - **उदाहरण**: अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों को इजरायल के साथ राजनीतिक संबंधों के कारण दमन का सामना करना पड़ा।

- **कानूनी स्थिति और आव्रजन कानून:** आप्रवासियों की कानूनी स्थिति (जैसे, छात्र वीजा, ग्रीन कार्ड) उनके अधिकारों को प्रभावित करती है।
    - गैर-नागरिकों को संवैधानिक सुरक्षा और कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है जो नागरिकों को प्राप्त है।
    - **उदाहरण**: ग्रीन कार्ड धारकों को छात्र वीज़ा धारकों की तुलना में कम प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्राकृतिक नागरिकों की तुलना में अधिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।
- **घरेलू कानूनी अपवाद और अस्पष्ट कानून:** घरेलू कानूनों में अक्सर "सार्वजनिक व्यवस्था" और "राष्ट्रीय सुरक्षा" जैसे व्यापक शब्द शामिल होते हैं, जो सरकारों को चुनिंदा विरोध प्रदर्शनों को प्रतिबंधित करने की अनुमति देते हैं।
    - **उदाहरण**: अमेरिकी आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की **धारा 212(a)(3)(c) "संभावित गंभीर प्रतिकूल विदेश नीति परिणामों" के आधार पर निर्वासन की अनुमति देती है।**
- **राजनीतिक रूपरेखा और कार्यकारी शक्ति:** आव्रजन न्यायाधीशों पर कार्यकारी शक्ति निर्वासन मामलों पर राजनीतिक प्रभाव की अनुमति देती है।
    - **उदाहरण**: परिसर में यहूदी विरोधी भावना पर ट्रम्प के कार्यकारी आदेश ने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रवर्तन को प्रभावित किया।
- **न्यायिक स्वतंत्रता और निगरानी:** आव्रजन मामलों में अक्सर स्वतंत्र न्यायिक निगरानी का अभाव होता है, जिसके कारण राजनीतिक रूप से प्रेरित फैसले सामने आते हैं।
    - **उदाहरण**: अमेरिकी आव्रजन न्यायाधीश न्याय विभाग के अधीन कार्य करते हैं, जहां अटॉर्नी जनरल के पास निष्कासन का अधिकार होता है।

स्रोत: **The Hindu: Should immigrants have the same right to protest as citizens?**

ट्रम्प 2.0 में बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून

संदर्भ

'अमेरिका फर्स्ट' मंत्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन को परिभाषित कर रहा है, जो बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही अमेरिका उन प्रमुख बहुपक्षीय संस्थाओं और समझौतों से हट गया है जिनकी स्थापना में उसने कभी मदद की थी, जिनमें शामिल हैं:
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
    - संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC)
    - पेरिस जलवायु समझौता
    - अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) और उसके अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए।

'अमेरिका फर्स्ट' और बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर इसका प्रभाव -

- **DEFUND अधिनियम और राजनीतिक अलगाववाद:** संयुक्त राष्ट्र संकट से पूर्णतः अलग होने (DEFUND) अधिनियम पेश किया गया।
    - यदि पारित हो जाता है, तो **DEFUND** अधिनियम:
        - **1945 के संयुक्त राष्ट्र भागीदारी अधिनियम और 1947 के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय समझौते को निरस्त कर देगा।**
        - **संयुक्त राष्ट्र को सभी अमेरिकी वित्तीय योगदान रोक देगा।**
        - संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अमेरिकी भागीदारी को समाप्त कर देगा।
        - अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की कार्यात्मक प्रतिरक्षा को रद्द कर देगा, जिससे शांति स्थापना और मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होगी।
    - इससे बहुपक्षीय सहयोग कमजोर होगा तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कमजोर होगी।
- **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर प्रतिबंध:** 6 फरवरी को ट्रम्प ने ICC पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।
    - **हेग** स्थित ICC, निम्नलिखित अपराधों के लिए व्यक्तियों को दंडित करने वाला पहला स्थायी न्यायालय है:
        - नरसंहार
        - मानवता के विरुद्ध अपराध
        - युद्ध के अपराध
    - **ऐतिहासिक संदर्भ**: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अमेरिका ने युद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने के लिए नूर्नबर्ग ट्रिब्यूनल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

- **नूर्नबर्ग न्यायाधिकरण**: यह मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के लिए एक मिसाल कायम की।

    - अमेरिका ने ICC की स्थापना करने वाले **रोम संविधि का अनुसमर्थन नहीं किया है।**
    - कार्यकारी आदेश में ICC पर अमेरिका और **इजरायल के खिलाफ "अवैध और निराधार कार्रवाई" करने का आरोप लगाया गया**, जिससे अदालत की विश्वसनीयता कम हुई।

- **आर्थिक राष्ट्रवाद और व्यापार संरक्षणवाद:** ट्रम्प प्रशासन की आर्थिक नीतियां आर्थिक राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान को दर्शाती हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में आक्रामक टैरिफ लगाए गए हैं।
    - **ऐतिहासिक समानता:** 1930 के दशक के **स्मूट-हॉले टैरिफ** अधिनियम के समान, जिसके कारण आर्थिक पतन हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में योगदान मिला।
        - **युद्धोत्तर पुनरुद्धार:** 1947 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) का निर्माण हुआ, जो विश्व व्यापार संगठन (WTO) के रूप में विकसित हुआ।
    - **वर्तमान संकट:**
        - अमेरिका ने WTO अपीलीय निकाय में नियुक्तियों को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे WTO का विवाद समाधान कार्य बाधित हो गया है।
        - विश्व व्यापार संगठन से अमेरिका के हटने का खतरा मंडरा रहा है।

अमेरिकी एकतरफावाद के परिणाम -

- बहुपक्षवाद के प्रति अमेरिका का बढ़ता विरोध वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के लिए खतरा बन रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और ICC जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कमजोर होने से निम्नलिखित को नुकसान होगा:
    - वैश्विक स्वास्थ्य प्रयास (जैसे, डब्ल्यूएचओ)
    - पर्यावरणीय कार्रवाई (जैसे, पेरिस जलवायु समझौता)
    - मानव अधिकार उल्लंघन के लिए जवाबदेही (जैसे, ICC)
    - आर्थिक स्थिरता (जैसे, WTO)
- अन्य देशों की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका अलग-थलग पड़ सकता है और उसका वैश्विक प्रभाव कमजोर हो सकता है।
- बहुपक्षीय सहयोग के बिना "अमेरिका को फिर से महान बनाओ" (एमएजीए) का लक्ष्य विफल हो सकता है।

गैर-पश्चिमी राष्ट्रों की भूमिका (भारत के लिए अवसर) -

- भारत जैसी उभरती शक्तियों के लिए वैश्विक शासन में अधिक प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर पैदा होता है।
- बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति भारत का निरंतर समर्थन, नेतृत्व के लिए उसकी तत्परता को दर्शाता है।
- जोहान्सबर्ग में जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक (फरवरी 2025) में, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने आह्वान किया:
    - वैश्विक चुनौतियों के प्रति समावेशी एवं बहुपक्षीय दृष्टिकोण।
    - समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिम्बित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार।

स्रोत: **The Hindu: The assault on multilateralism and international law**